[2018] 11 एस. सी. आर 645

मेसर्स झेजियांग बॉनली एलीवेटर गाइड रेल मैन्युफैक्चर कं. लिमिटेड।

बनाम

मेसर्स जेड एलीवेटर कंपनियाँ (मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 22/2018)

14 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजे आई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:धारा 11 (5) के तहत मध्यस्थता याचिका-आयोग प्रसंस्करण अनुबंध के तहत याचिकाकर्ता के दावों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के साथ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की मांग-पक्षों के बीच विवाद समाधान खंड कि विवादों को परामर्श के माध्यम से निपटाया जाना है और यदि परामर्श विफल हो जाता है, तो मध्यस्थता या अदालत द्वारा

अभिनिर्धारित किया गयाःविवाद समाधान खंड से पक्षकारों का स्पष्ट आशय परिलछित होता है कि विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और इसलिए, दो विकल्प उपलब्ध हैं, या तो मध्यस्थता के लिए या कानून की अदालत में मुकदमेबाजी इस प्रकार, एक विकल्प है और याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता खंड का अवलम्बन लिया है- इसे ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर मध्यस्थता के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए गए हैं- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही को मध्यस्थ द्वारा सम्पादित किया जायेगा। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015,-

इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यू. एस. एटकिन्स

रेल लिमिटेड (2008) 10 एस. सी. सी. 308- संदर्भित

संदर्भित निर्णयज विधि

(2008) 10 एससीसी 308 संदर्भित पैरा 8

सिविल मूल अधिकारिता **;** मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 221/2018

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) के अन्तर्गत। आयोग प्रसंस्करण अनुबंध दिनांकित 11.09.2014 के खंड 15 के अन्तर्गत

सुश्री नंदिनी गिडवानी, मुदित शर्मा, अधिवक्तागण याचिकाकर्ता के लिए।डी. एन. रे, लोकेश के. चौधरी, सुश्री दिशा रे, दिलीप कुमार नायक, श्रीमती सुमिता रे, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा सी.जे.आई. के द्वारा दिया गया था

1.मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के तहत पेश की गई तत्काल मध्यस्थता याचिका में, याचिकाकर्ता आयोग प्रसंस्करण अनुबंध दिनांकित 11-09-2014 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता के दावों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के साथ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन और ऐसे अग्रिम आदेश को पारित करने की मांग करता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जा सके।

2. याचिकाकर्ता, चीन जनवादी गणराज्य के कानूनों के तहत निगमित कंपनी, जिसका कार्यालय सैनकियाओ गांव, फुचुन स्ट्रीट, फुयांग, चीन में है, अन्य बातों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले लिफ्ट गाइडेल, मछली-प्लेट, सहायक उपकरण और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात और आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है।प्रत्यर्थी, भारत में स्थित एक साझेदारी फर्म जिसका कार्यालय प्लॉट No.455, रोड No.11, "ए" क्रॉस रोड, जी. आई. डी. सी., कठवाड़ा, अहमदाबाद-382430, गुजरात में है, मौजूदा लिफ्टों के आधुनिकीकरण और लिफ्ट के नए डिजाइन में उपयोग के लिए लिफ्ट घटकों की आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है।

3. अनुबंध के तहत कुछ उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 11.09.2014 को पक्षों के बीच अनुबंध, अर्थात् आयोग प्रसंस्करण अनुबंध (इसके बाद 'अनुबंध' के रूप में संदर्भित) किया गया था।अनुबंध के अनुपालन के दौरान,

कुछ मतभेद उत्पन्न हुए थे और पक्षकार उन विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में असमर्थ थे जो मध्यस्थता खंड के दायरे में आते थे, याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. एस. अग्रवाल को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।दिनांक-30.03.2018 को याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति देने का अपेक्षा किया। प्रत्यर्थी को दिनांक 31.03.2018 को उक्त नोटिस प्राप्त हुआ और प्रत्यर्थी ने अपने दिनांकित 05.04.2018 उत्तर में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए राजी होने की सहमति देने से इनकार कर दिया।उपरोक्त स्थिति के कारण, याचिकाकर्ता एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय के विकल्प के लिए मजबूर हो गया है। जब मामले को नोटिस की सेवा के बाद इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रत्यर्थी वकील द्वारा दिए गए जवाब दिनांकित 05.04.2018 पर विश्वास किया है। उक्त उत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए तथ्य विवादित होने के साथ इसके अलावा, यह कहा गया है कि सामने रखे गए दावे अनुबंध के प्रावधानों से परे हैं।

4. विवाद को समझने के लिए, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विवादों के समाधान के लिए कोई मध्यस्थता खंड है।अंग्रेजी में अनुवादित समझौते का खंड 15 इस प्रकार हैः-

"15. विवाद से निपटनाः

सामान्य प्रसंस्करण अनुबंध विवादों, पक्षों को परामर्श के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए; परामर्श विफल हो जाने पर मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता निकाय या अदालत के द्वारा."

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यदि 'विवाद से निपटने' के खंड की उचित रूप से जांच की जाती है, तो विवादों को परामर्श के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए और यदि परामर्श विफल हो जाता है,तो मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता निकाय या न्यायालय द्वारा और इसलिए, मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।उनके द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि खंड स्पष्ट रूप से विशिष्ट नहीं है कि इसे न्यायालय

में न्यायनिर्णित किया जाना है।यह विकल्पों की ओर ले जाता है और याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किया गया विकल्प मध्यस्थता है।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, अपनी ओर से, आग्रह किया कि जब मध्यस्थता या न्यायालय कहा जाता है, तो याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन मध्यस्थता का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खंड को मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है जो निर्धारित करता है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

7. विचाराधीन खंड की समझने के लिए, खंड की शब्द रचना को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। यह खंड 'विवाद से निपटने' के लिए दिए गए शीर्षक को निर्धारित करता है।इसमें कहा गया है कि विवादों का निपटारा परामर्श के माध्यम से किया जाना चाहिए और यदि परामर्श विफल हो जाता है तो मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता निकाय या अदालत के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रश्न किए जाने पर, पक्षों के विद्वान वकील ने निष्पक्षता से कहा कि हालांकि अनुवाद खुशी से नहीं किया गया है, फिर भी यह निर्धारित करता है कि जहां तक विवादों के निर्णय का संबंध है, "मध्यस्थता या न्यायालय" शब्द निर्विवाद हैं।ऐसा दावा किया जाता है कि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हैं।पक्षकारों का इरादा, जैसा कि यह खंड से परिलछित होता है, यह है कि विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और इसलिए, दो विकल्प उपलब्ध हैं, या तो मध्यस्थता के लिए या कानून की अदालत में मुकदमेबाजी के लिए।

8. इस न्यायालय को इस तरह के इकरार के खंड पर विचार करने का अवसर

इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यू. एस. एटकिन्स रेल लिमिटेड [1] में मिला था उक्त समझौते में, खंड No.13 विवादों के निपटारे से संबंधित था।वर्तमान मामले पर प्रकाश डालने वाले खंड 13.2 और 13.3 को निम्नलिखित भाषा में जोड़ा गया थाः-

‘1 (2008) 10 एस. सी. सी. 308’

"13.2 खंड 13.3 के अधीन रहते हुए इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेद, जिनका पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा नहीं किया जा सकता है, उन्हें न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाएगा।

13.3 यदि इस समझौते के तहत कोई विवाद या मतभेद किसी भी उप-अनुबंध समझौते के तहत किसी भी विवाद या मतभेद को छूता है या उससे संबंधित है, तो पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि इस तरह के विवाद या मतभेद को संबंधित उप-अनुबंध समझौते के तहत विवाद या मतभेद का फैसला करने के लिए न्यायनिर्णयक या अदालतों को भेजा जाएगा और यहां के पक्षकार इस तरह के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हैं जैसे कि यह इस समझौते के तहत एक निर्णय था।."

9. उपरोक्त खंडों की व्याख्या करते हुए, भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दियाः-

"इसके अलावा, खंड 13.2 और खंड 13.3 के शब्दों से, मैं इस आवेदन के उद्देश्य के लिए आश्वस्त हूं कि ज्ञापन के पक्षकारों का इरादा अपने विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करने का है और इस मामले के तथ्यों में याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए।."

10. उपरोक्त परिच्छेद यह स्पष्ट करता है कि पक्षकारों के इरादे पर जोर दिया गया है कि वे अपने विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करें।

11. वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पाते हैं, खंड 15 मध्यस्थता या न्यायालय को संदर्भित करता है।इस प्रकार, एक विकल्प है और याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता खंड का अवलंबन किया है और इसलिए, हमें मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आदेश करने में कोई संकोच नहीं है और तदनुसार, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर, जो पहले इस न्यायालय के न्यायाधीश थे, को पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।विद्वान मध्यस्थ मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार निर्देशित होंगे तथा विद्वान मध्यस्थ 2015 के अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे।

12. रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति एकमात्र मध्यस्थ को भेजने का निर्देश दिया जाता है।पक्षकारों के लिए विद्वान वकील भी इसे मध्यस्थ के ध्यान में लाने के लिए स्वतंत्र हैं।

13. तदनुसार, मध्यस्थता याचिका की अनुमति है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन
याचिका की अनुमति दी गई।